स्थानः इंदौर
दिनांकः 29.04.2023

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि.

kotak

कोटक महिन्द्रा बैंक लि.

ई-नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय : 27 बीकेसी, सी 27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुम्बई-400 051.
शाखा कार्यालय : 5वीं मंजिल, मेट्रो टॉवर, विजय नगर स्क्वायर के पास, ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.) 452010

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

ईएमडी और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि और समय (हार्ड कॉपी) और (ऑन लाइन) 23.05.2022, 4:00 बजे अप.

ई-नीलामी की तिथि और समयः 24.05.2023, 11:00 बजे पूर्वा. से 3.00 बजे अप. तक

(बिक्री के समापन तक प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम

2002 (2002 का संख्या 54) सरफेसी अधिनियम के तहत बैंक के पास गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

जैसा कि, यहां नीचे नामधारी कर्जदार/रों ने कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के यहां नीचे वर्णित राशि तथा उस पर भावी ब्याज के भुगतान में चूक की है, कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड ने अपने अधिकृत प्राधिकारी के माध्यम से सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत बंधक सम्पत्तियों का कब्जा कर लिया है और बैंक ने यहां नीचे उनके नामों के सम्मुख वर्णित सम्पत्तियों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 से 9 के तहत "जहां है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर बेचने का निर्णय लिया है। यह बिक्री वेबसाइट https://kotakbank.auctiontiger.net तथा साथ ही auctiontigermobileapp पर प्रावधानित ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्पन्न की जायेगी।

खाते तथा कर्जदार/बंधककर्ता(ओं)/जमानती(यों) के नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	ईएमडी जमा करने हेतु खाता विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि	आरक्षित मूल्य ईएमडी संविदा वृद्धि राशि
1. मैसर्स पटवा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार) लसुदिया मोरी, देवास नाका, एबी रोड इंदौर- 452012, मध्य प्रदेश, 2. श्री सुरेंद्र पटवा (गारंटर) 34 साकेत, इंदौर के पीछे गुलमर्ग कॉलोनी - 452001 मध्य प्रदेश, 3 श्रीमती मोनिका पटवा (गारंटर और बंधककर्ता) 34 गुलमर्ग कॉलोनी-साकेत इंदौर के पीछे- 452001, मध्य प्रदेश, 4. श्री महेंद्र पटवा (गारंटर) महू नीमच रोड रतलाम-457001, मध्य प्रदेश, 5. मैसर्स पटवा अभिकरण रतलाम प्रा. लिमिटेड (गारंटर और बंधककर्ता) 1 महू रोड, रतलाम (म.प्र.) 457001, 6. मैसर्स उर्वरक अभिकरण नीमच प्राइवेट लिमिटेड (गारंटर) 203 सिटी सेंटर, एम जी रोड, इंदौर-452001, मध्य प्रदेश, 7. मेसर्स पटवा मार्केटिंग प्रा. लिमिटेड (गारंटर) 203 सिटी सेंटर, एमजी रोड इंदौर 452001, मध्य प्रदेश 8. स्टार सिटी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (गारंटर और बंधककर्ता) 203 सिटी सेंटर, एम.जी. रोड, इंदौर -452001 मध्य प्रदेश	मैसर्स पटवा अभिकरण रतलाम प्रा. लिमिटेड (पहले बंधक रिकार्ड दिनांक 21/07/2012 के माध्यम से बंधक, दिनांक 24/07/2012 को संख्या 2233 के साथ पंजीकृत) पटवारी हलका नंबर 31, ग्राम खरारखेड़ी, तहसील और जिला रतलाम (म.प्र.) में सर्वेक्षण संख्या 206/2 और 207/15 की गैर कृषि संपत्ति का समस्त भाग। कुल भूखंड क्षेत्रफल 43000 वर्ग फीट और कुल निर्मित क्षेत्र 25140 वर्ग फीट। (बेसमेंट, रैंप, जीएफ और मेजेनाइन फर्श से मिलकर) और निम्नानुसार सीमाबद्धः - उत्तर : मुर्तजा की भूमि, दक्षिण : उसी सर्वेक्षण संख्या का भूमि भाग, पूर्व : उसी सर्वेक्षण संख्या का भूमि भाग, पश्चिम : महू नीमच रोड साथ ही सभी फिक्स्चर और फिटिंग, भवन और पृथ्वी से जुड़ी संरचनाओं या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज से जुड़ी हुई है, वर्तमान और भविष्य दोनों और उससे जुड़े सभी ईजमेंट/ ममूल अधिकार	खाता सं. 06410125272001, कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, नरीमन प्वाइंट शाखा, मुम्बई, आईएफएससी कोड : **KKBK0000958**	13.05.2019 तक बकाया रु. 4,36,46,976.66 तथा भावी ब्याज/दण्डात्मक ब्याज एवं उस पर प्रभार	सम्पत्ति [illegible] वाणिज्यिक सम्पत्ति अर्थात शोरूम। रु. 6,35,00,000/- रु. 63,50,000/- रु. 50,000/-

कटौती किया जाने वाले टीडीएस : नीलामी मूल्य का 1%

टीडीएस की कटौती की शर्तें: ● टीडीएस की कटौती की जाएगी और बंधककर्ता/ओं के नाम पर जमा किया जाएगा। ● यदि गिरवी रखी गई संपत्ति संयुक्त रूप से स्वामित्व में है, तो पहले स्वामी के नाम पर टीडीएस की सूचना दी जाएगी, जब तक कि बिक्री विलेख में स्वामित्व का एक विशिष्ट पुनर्वसन न हो, इस मामले में टीडीएस उनके स्वामित्व अनुपात के अनुपात में काटा जाएगा। ● नीलामी क्रेता, टीडीएस जमा करने के बाद, टीडीएस भुगतान और पुष्टि के प्रमाण के रूप में फॉर्म नंबर 16ए जमा करेगा।

नियम एवं शर्तें : (1) ई-नीलामी **"जहाँ है जैसे है"** और **"जो है वही है"** तथा **"शिकायत रहित आधार"** पर आयोजित की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्ति/यों पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले ऋणभार, नीलामी में रखी गई संपत्ति के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। (2) बोली जमा करने से पहले संपत्ति और विनिर्देश के बारे में स्वयं को निरीक्षण और संतुष्ट करने के लिए बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। नीलामी में रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के निरीक्षण की अनुमति राज्य वसूली प्रबंधक-एबीजी के परामर्श से बैंक के कार्य दिवसों में इच्छुक बोलीदाताओं को दी जाएगी। (3) इच्छुक बोलीदाता नीलामी के विवरण और बिक्री के नियमों और शर्तों के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से (यूजर आईडी और पासवर्ड "https://kotakbank.auctiontiger.net पर अपना नाम पंजीकृत करके निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) बैंक की आधिकारिक वेबसाइट https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html देख सकते हैं। आरक्षित मूल्य का 10% ईएमडी देय "कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/ऑनलाइन के माध्यम से इंदौर/एट पार में देय होगा और इसे 23.05.2023 को शाम 4.00 बजे या उससे पहले निविदा फॉर्म से जुड़ी अनुबंध II और III की विधिवत भरी हुई और हस्ताक्षरित प्रति के साथ संबंधित बैंक शाखा में जमा किया जाना है। निविदा प्रपत्र संबंधित बैंक शाखा से भी प्राप्त किया जा सकता है। (4) वेब पोर्टल में बोलीदाताओं द्वारा पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को बोली जमा करने की अंतिम तिथि से पहले वेब पोर्टल में अपलोड किए गए निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करना आवश्यक है। (i) डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी, (ii) पैन कार्ड की कॉपी, (iii) पहचान का प्रमाण (केवाईसी) अर्थात मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट आदि की प्रति, (iv) पते के प्रमाण की प्रति, (v) निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक II और III की विधिवत रूप से भरी हुई और हस्ताक्षरित प्रति, जिसके बिना बोली रद्द की जा सकती है। (5) इच्छुक बोलीदाता जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर), अहमदाबादः संपर्क व्यक्ति; श्री राम शर्मा, मोबाइल नंबर 9978591888 तथा 6351896833, संपर्क नंबर 079-68136837/68136880/68136844 ई-मेल आईडी ramprasad@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net/ तथा ऑक्शनटाइगर मोबाइल ऐप से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए बैंक अधिकारियों के संपर्क विवरण हैं: कॉमर्शियल बैंकिंग, कोटक महिन्द्रा बैंक, 5 वीं मंजिल, मेट्रो टॉवर, विजय नगर स्क्वायर के पास, ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.) 452010 भारत, श्री तरुण जोशी, लोकेशन रिकवरी मैनेजर - एबीजी मोबाइल : 8370013754 ईमेलः- tarun.p.joshi@kotak.com से काम के दिनों के दौरान कार्यालय समय के भीतर। (6) केवल वैध यूजर आईडी/पासवर्ड धारक और डिमांड ड्राफ्ट/ऑनलाइन के माध्यम से ईएमडी के भुगतान की पुष्टि वाले क्रेता ही ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। (7) इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने अपनी ईएमडी आरक्षित मूल्य के 10% से ऊपर डिमांड ड्राफ्ट/ऑनलाइन के माध्यम से 23.05.2022 को शाम 4.00 बजे से पहले जमा कर दी है वे ही ई-नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे। उपरोक्त संपत्तियों की ई-नीलामी बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोली के माध्यम से ऊपर उल्लिखित निर्धारित तिथि और समय पर आयोजित की जाएगी। बोलीदाता अपने प्रस्ताव को "संपत्ति के विरुद्ध बोली वृद्धि राशि*" कॉलम के तहत उल्लिखित राशि के गुणकों में वृद्धि करेंगे। यदि बोली ई-नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है, तो समापन समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के अधीन) बढ़ जाएगा। ऑनलाइन नीलामी बंद होने पर उच्चतम बोली (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) जमा करने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा और इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सूचना जारी की जायेगी जो प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार के अनुमोदन के अधीन होगा। (8) सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) आंशिक बिक्री प्रतिफल के लिए रखी जाएगी और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25%, पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 48 घंटों के भीतर जमा करना होगा और शेष 75% बिक्री मूल्य के 15 वें दिन या उससे पहले ऐसी विस्तारित अवधि के लिए सहमत होना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में, बोलीदाता द्वारा पहले ही जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा और संपत्ति को फिर से नीलामी के लिए रखा जाएगा और चूककर्ता बोलीदाता के पास संपत्ति/राशि के संबंध में कोई अधिकार/दायित्व नहीं होगा। (9) संभावित योग्य बोलीदाता ई-नीलामी की तारीख से पहले मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। न तो प्राधिकृत अधिकारी/बैंक और न ही मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड किसी भी नेटवर्क समस्या के लिए उत्तरदायी होगा और इच्छुक बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ई-नीलामी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। (10) क्रेता लागू स्टाम्प शुल्क/अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क/हस्तांतरण प्रभार, शुल्क आदि और किसी के कारण सभी सांविधिक/गैर-सांविधिक देय, कर, दरें, निर्धारण, प्रभार, शुल्क आदि भी वहन करेगा। (11) अधिकृत प्राधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और अधिकृत अधिकारी को किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी को स्थगित/स्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। (12) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियां जमा करने और ई-नीलामी में भाग लेने से पहले मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट https://kotakbank.auctiontiger.net पर उपलब्ध ई-नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों को देखने का परामर्श दिया जाता है। (13) यह प्रकाशन अप्रत्याशित घटना खंड के अधीन है। (14) बिक्री प्रमाण पत्र पूर्ण बिक्री प्रतिफल की प्राप्ति और प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि के बाद जारी किया जाएगा। सफल बोलीदाता के नाम से बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बोली प्रस्तुत करने वाले/ई-नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति के अलावा बिक्री प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। (15) बोलीदाता द्वारा एक बार प्रस्तुत की गई बोली को रद्द/वापस नहीं किया जा सकता है और बोलीदाता अंतिम बोली मूल्य पर संपत्ति खरीदने के लिए बाध्य होगा। बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी के किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में विफल रहने पर, चूककर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा। (16) सफल बोलीदाता की घोषणा के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम और सभी बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए, सफल बोलीदाता घोषित करने से पहले, किसी भी समय ई-नीलामी प्रक्रिया/निविदा को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। सशर्त बोलियों को अमान्य माना जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि बोली जमा करने के बाद, बोली में किसी भी बदलाव के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी के भी कारण सभी वैधानिक/गैर-सांविधिक देय राशियों, करों, दरों, निर्धारणों, शुल्कों, शुल्कों आदि का भुगतान करना केवल सफल बोलीदाता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। बोली की वैधता, बोली की राशि, बोलीदाता की पात्रता के लिए एक बार ईएमडी, बोलीदाता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के अधिकार, व्याख्या के संबंध में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। ऐसी स्थिति में, बैंक अपने विवेकाधिकार से बिक्री को बंद करने और संपत्ति को एक बार फिर बिक्री के लिए किसी भी तारीख और ऐसे समय पर बेचने का हकदार होगा जो बैंक द्वारा तय किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए बोलीदाताओं को केवल संबंधित बैंक शाखा के संबंधित अधिकृत प्राधिकारी से ही संपर्क करना होगा। (17) विशेष निर्देश, बोलीदाताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षण में बोली लगाने से बचना चाहिए, न तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता/बिजली की विफलता आदि) के लिए जिम्मेदार होंगे, क्रम में ऐसी आकस्मिक स्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे बिजली आपूर्ति बैक-अप आदि की व्यवस्था करें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बचने में सक्षम हों और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

(विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट देखें) https://kotakbank.auctiontiger.net (मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड)

इसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2), 8(6) तथा 9(1) के तहत 15 दिवसीय सांविधिक बिक्री सूचना माना जाये:

कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को एतद्वारा अद्यतन ब्याज तथा अनुषंगी व्ययों सहित देयताओं की पूर्ण भुगतान करने तथा उपर्युक्त बकायों का इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति/यों की बिक्री कर दी जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागत के साथ वसूल किया जायेगा।

तिथि : 29.04.2023 स्थान : इन्दौर **अधिकृत प्राधिकारी**